कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 1690 /13सी॰ दिनांक 12/07/2023

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषयः– *मा॰मुख्यमंत्री घोषणा सं॰ 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है॰ वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भः– *भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/70/2021 एफ॰सी॰/773 दिनांक 23–09–2021 एवं आपका पत्रांक 3914/12–1(2) दिनांक 31–05–2023 (ऑन लाइन फाइल सं॰ FP/UK/ROAD/40773/2019)*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मांगी गयी सूचनाओं को बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है।

क्र॰ सं॰	आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 8167/ ।।।(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31–12–2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी॰ की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। **(शासनादेश की छायाप्रति सलंग्न 21 नं॰ पर)**
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML File पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A में C. Maps of forest land proposed to be diverted वाले कॉलम में online अपलोड कर दिया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfacory state Governmet may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेंखणों को डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप एवं KML File में हरे, काले एवं नीले रंग से अंकित किया गया है, एवं वैकल्पिक समरेंखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक समरेंखणों को निरस्त किये जाने का कारण सहित प्रपत्र को संशोधित कर दिया गया है। **(संशोधित प्रपत्र सलंग्न 7 नं॰ पर)**
4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.	उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेंखण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि॰मी॰ तक सिविल वन क्यार्क–बरसूडी व वन पचांयत कौशलपुर की वनभूमि पडती है, तथा 0.60 किमी॰ गैर वन क्षेत्र समरेंखण के अन्तिम प्रभाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम 5 मक डम्पिंग स्थल को वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है, एक भू–स्वामी को छोड कर अन्य भू–स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नापभूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण एक ही मक डम्पिंग जोन को नापभूमि में प्रस्तावित किया गया। खण्ड द्वारा वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि वनभूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण नाप भूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में किया जायेगा। **(प्रमाण–पत्र संलग्न 22 नं॰ पर)**

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मोटर मार्ग के चयनित संरेखण का दिनांक 14–07–2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01–02–2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्षों) में अन्तर हुआ है, तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित पॉच प्रतियों में सलंग्न कर प्रेषित है। **(1–कवर पेज, 2–फैक्ट शीट, 3–प्रपत्र 3 भाग।।, 4–प्रतिवेदन, 5–प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6–वनभूमि की मॉग का औचित्य का प्रमाण–पत्र, 7– तुलनात्मक विवरण, 8– वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र, 9–लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई–चौडाई का विवरण, 10–बारचार्ट, 11–प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण–पत्र, 12–मक डिस्पोजल प्लान, 13–वनभूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र, 14–एन॰पी॰वी॰ की धनराशि का आंकलन आदि)**

14/02/2023

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

सलंग्नः–1. कवर पेज।
2. फैक्ट सीट।
3. प्रपत्र–3 (भाग–2)।
4. प्रतिवेदन।
5. प्रपत्र–6 (सयुंक्त निरीक्षण रिर्पोट)।
6. प्रपत्र–11 (वनभूमि की मॉग का औचित्य का प्रमाण–पत्र)।
7. तुलनात्मक विवरण।
8. प्रपत्र–14 (वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र)।
9. लैण्ड शैड्यूल (15, 15.1, 15.2)।
10. प्रपत्र–16 (परियोजना की लम्बाई चौडाई का विवरण)।
11. बारचार्ट।
12. प्रपत्र–19, 19.1 (पेडों का विवरण)।
13. प्रपत्र–20.1 (परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सांराश, पेडों की सूची)।
14. प्रपत्र–21 (परियोजना क्षेत्र में विधमान वृक्षों मे से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण)।
15. वृक्षो की मूल्य सूची।
16. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।
17. आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र।
18. प्रपत्र–41 (मक डिस्पोजल प्लान)।
19. वनभूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र।
20. प्रपत्र–42 (एन॰पी॰वी॰ की धनराशि का आंकलन)।
21. शासनादेश की छायाप्रति।
22. वनभूमि में कम से कम मक डम्प किये जाने का प्रमाण–पत्र।

पत्रांक /13सी॰ दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

संख्याः 8167/III(2)/18-15(सामान्य)/2018

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग–2 देहरादूनः दिनांक : 31 दिसम्बर, 2018

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय–व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :–

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नही है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम हैं, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

बिंदु संशोधित है।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लौक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

क्रमशः........पृष्ठ 2 पर

Scanned by CamScanner

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौडाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौडाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के **defect liability period** सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल / झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक / सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. **यह आदेश** वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–378 / XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

क्रमशः........पृष्ठ 3 पर

Scanned by CamScanner

संख्या : 0167/III(2)/16(सामान्य)/2010 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो० नि० विभाग, अल्मोड़ा

संख्या: 03 /101 [illegible] (1) अल्मोड़ा/2018 दिनांक 01.01.2019

प्रतिलिपि [illegible] अधीक्षण अभियन्ता, [illegible] लोक निर्माण [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible] अपने स्तर से [illegible] का [illegible]

प्रति- [illegible]

[illegible] अल्मोड़ा

प्रति- [illegible], क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] अल्मोड़ा

महत्वपूर्ण/आवश्यक

01/01/2019

लो० नि० विभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 32
दि० 5/1/19

प०सं० 32 / [illegible] - अल्मोड़ा दि० 5/1/2019

प्रतिलिपि - [illegible] को [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
[illegible] लो०नि०वि०
अल्मोड़ा।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली

सप्तम् वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर

निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– **मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

ग्रामः– क्यार्क–बरसूड़ी

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रः– चन्द्रापुरी

तहसीलः– बसुकेदार

जनपदः– रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफलः–
0.910 है० वन पंचायत भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु
0.285 है० वन पंचायत भूमि मक डम्पिंग हेतु
0.070 है० क्यार्क–बरसूड़ी सिविल वन भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु
0.075 है० क्यार्क–बरसूड़ी सिविल वन भूमि मक डम्पिंग हेतु
0.540 है० नाप भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु
0.031 है० नाप भूमि मक डम्पिंग हेतु

कुल वन भूमि का क्षेत्रफलः–1.340 है०
कुल नाप भूमि का क्षेत्रफलः–0.571 है० } = 1.911 है०

परियोजना का नामः–मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
नाप भूमि	0.540 है0 मोटर मार्ग हेतु+0.031 है0मक ड़म्पिगं हेतु =0.571 है0
वन पंचायत भूमि	0.910 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.285 है0मक ड़म्पिगं हेतु =1.195 है0
क्यार्क–बरसूड़ी सिविल वन भूमि	0.070 है0 मोटर मार्ग हेतु + 0.075 है0मक ड़म्पिगं हेतु =0.145 है0
योग	**1.911 है0**

3-प्रस्तावक विभाग का नाम – **निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ**

4-वन प्रभाग का नाम –**रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग**

5-प्रस्ताव बांइड़िग किया गया है-

हाँ/नही

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नही

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नही

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/नही

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ/नही

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभागद्वारा उन्हें कम करनें का प्रयास किया गया है- हाँ/नही

13-संमरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नही

14– क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नही

15 – क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण – पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ/नही

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - हाँ/नही

17 – प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हाँ/नही

18 – क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हाँ/नही

19 – प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीड़ोर का हिस्सा है। - हाँ/नही

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संळग्न है। - हाँ/नही

20 – क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - हाँ/नही

21 – प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - हाँ/नही

प्रपत्र–3

भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या...

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	:–	**मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र।	:–	उत्तराखण्ड़
(ii)	जिला	:–	रुद्रप्रयाग
(iii)	वन प्रभाग	:–	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे॰में)	:–	**1.340 है॰**
(v)	वन की कानूनी स्थिति	:–	वन पंचायत भूमि व **क्यार्क-बरसूड़ी** सिविल वन भूमि
(Vi)	हरियाली का घनत्व	:–	
(Vii)	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ॰आर॰एल॰, एफ॰आर॰एल॰–2 मीटर पर परिगणना और एफ॰आर॰एल॰ –4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।	:–	सूची संलग्न है।
(vii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:–	भूक्षरण की सम्भावना नही है।
(viii)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:–	
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवगण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	:–	नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न विशिष्ठ प्रजातियां पाइ जाती है। यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:–	नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्ततीय / पारसपरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:–	नही
8-	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:–	प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संल्गन है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां / नही) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गइ कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:–	मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नही किया हैअतःकोई उल्लंगन नही हुआ है।
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:–	संलग्न
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक	:–	संलग्न

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः–मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0**2724/III (2) / 15–05 (मा0म0घो0) /2015दि0 24-04-2015** के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी संम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृति प्राप्तहुयी है, जिसकी धनराशी रू0 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संमरेखण में पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	1300	7	0.910
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु			0.285
3	क्यार्क–बरसूड़ी सिविल वन (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	100	7	0.070
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु			0.075
	वनभूमि का योगः–	**1400**	–	1.340
4	नाप भूमि(I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	600	9	0.540
	(II)मक ड़म्पिग हेतु			0.031
	कुल योगः–	**2000**	–	1.911

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माणविभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र – 6

परियोजना का नामः– मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनाँक 01–02–2023 को वन भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भरत सिंह राणा (अनुभाग अधिकारी), श्री नरेन्द्रपाल, (वन बीट अधिकारी) श्री उदय सिंह रावत (वन क्षेत्राधिकारी), श्री अनूप रावत (वन दरोगा) श्री पूरण सिंह रावत (वन क्षेत्राधिकारी) एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज सजवांण (रा0उ0नि0चन्द्रापुरी) एंव लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री दीपक कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री अंदीप राणा (सहायक अभियन्ता) श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार वन पंचायत भूमि कौशलपुर 0.910 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.285 है0 मक ड़िस्पोजल हेतु व क्यार्क–बरसूडी सिविल वन भूमि 0.070 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.075 है0मक ड़िस्पोजल हेतु और नाप भूमि 0.540 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.031 है0 मक ड़िस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 1.911 है0 भूमि (1.160 है0 वन पंचायत भूमि कौशलपुर + 0.145 है0 क्यार्क–बरसूडी सिविल वन भूमि + 0.571 है0 नाप भूमि) प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है,आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना का निर्माण जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 881जनसंख्या लाभाविन्त होगी।

आवेदित 1.340 है0 वनभूमि में 117 वृक्षों का पातन और 0.571 है0 नाप भूमि मे 8 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 125 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अमीन
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
तहसीलदार बसुकेदार जनपद–रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
बसुकेदार
उप जिलाधिकारी जखोली / बसुकेदार जनपद–रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-11

परियोजना का नामः—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद–रूद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड़ अगस्त्यमुनि में ग्राम–क्यार्क–बरसूड़ी (जमेथी) (कुल आबादी 881) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिये पैंदल चलना पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से क्यार्क–बरसूड़ी (जमेथी) के स्थानीय जनता का सम्पर्क तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय से स्थापित हो जायेगा।

अतः ली गयी 1.340 है० वनभूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन हो।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभागऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
वनक्षेत्राधिकारी	उपप्रभागीय वनधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग	उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–9

परियोजना का नामः– मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूडी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण, उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नं0	प्रभावित वनभूमि है0 में	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि॰मी॰ में)	अन्य कारण (एच.पी. बैण्ड व अन्य भू–गर्भीय कारण)
संरेखण–1 (लाल रंग)	1.34	117	2.00	3 एच॰पी॰ बैण्ड, कम वृक्षों का पातन एवं कम वनभूमि प्रभावित हो रही है।
संरेखण–2 (हरे रंग)	1.75	163	2.50	5 एच॰पी॰ बैण्ड, अधिक वृक्षों का पातन एवं अधिक वनभूमि प्रभावित हो रही है।
संरेखण–3 (काले रंग)	1.11	89	1.90	5 एच॰पी॰ बैण्ड एवं ग्रामीण असहमत।
संरेखण–4 (नीले रंग)	1.95	96	1.30	5 एच॰पी॰ बैण्ड, तीव्र ढाल, ग्रामीण असहमत एवं ग्रामीणों के भवनों को खतरा है।

उक्त सभी समरेखणों में से समरेखण नं॰ 1 (एक) उपयुक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-14

परियोजना का नामः—मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य वनभूमि एवं पंचायत वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित **1.340** है॰ पंचायत वनभूमि व क्यार्क–बरसूडी सिविल वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
बसुकेदार
उप जिलाधिकारी
जखोली / बसुकेदार
जनपद–रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

लैन्ड़ शैड़्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नामः– **मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)
	←		शून्य		→

अमीन
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1

लैन्ड् शैड्यूल

परियोजना का नामः— **मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**

भूमि की श्रेणीः— श्रेणी 1(3)(ख) चीड़ जंगल (वन पंचायत कौशलपुर)

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकवा	पंचायत वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	1423	6.380	**1300**	**7**	**0.910 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.285 मक ड़म्पिगं हेतु = 1.195**

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभागऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग
उपजिलाधिकारी
बसुकेदार

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.2
लैण्ड् शैड्यूल

परियोजना का नामः– मा॰मु॰घो॰संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणीः– श्रेणी 1 (ख) अन्य वन (सिविल वन क्यार्क बरसूडी)

	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकवा	क्यार्क–बरसूडी सिविल वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है॰)
1.	रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	2005	1.301 है॰	75	7	0.0525 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.075 मक ड़म्पिगं हेतु = 0.1275
2.	रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	1571	1.300 है॰	25	7	0.0175 मोटर मार्ग निर्माण हेतु
								कुल = 0.145 है॰

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभागऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
बसुकेदार

उप जिलाधिकारी
जखोली जनपद- रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नामः—मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	1300	7	0.910
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु		→	0.285
3	**क्यार्क** –बरसूडी सिविल वन भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	100	7	0.070
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु		→	0.075
	वनभूमि का योगः–	**1400**	**-**	**1.340**
4	नाप भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	600	9	0.540
	(II)मक ड़म्पिगं हेतु		→	0.031
	कुल योगः–	**2000**	**–**	**1.911**

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

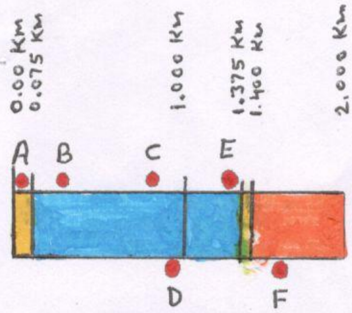

बारचार्ट का प्रारुप

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
वन पंचायत भूमि		0.910 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.285 मक ड़िस्पोजल हेतु= 1.195
सिविल वन भूमि		0.070 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.075 मक ड़िस्पोजल हेतु= 0.145
नाप भूमि		0.540 मोटर मार्ग निर्माण हेतु+ 0.031 मक ड़िस्पोजल हेतु= 0.571
कुल		=1.911 है0
मक पॉइंट		A, B, C, D, E, व F

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
जखोली/बसुकेदार
जनपद–रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नामः—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 01–02–2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पंचायती वनभूमि व सिविल वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयीः—

सिविल वनभूमि एवं वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	क्यार्क–बरसूडी सिविल वन	चीड़	–	-	-	-	-	-	-	01	01	01	03
2	वन पंचायत कौशलपुर	चीड़	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110
3	मक डम्पिंग (वन पंचायत कौशलपुर)	चीड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	04
	योगः-		06	04	11	15	20	14	11	12	05	19	117

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

रा०उ० नि०
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
जखोली/बसुकेदार
जनपद-रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-19.1

परियोजना का नाम:–मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 01–02–2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नापभूमिमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी:–

नापभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नापभूमि क्यार्क (जमेथी)	चीड़	01	–	01	–	01	–	–	01	—	–	04
		खड़ीक	01	02	01	–	01	–	–	–	—	–	04
2	मक डम्पिंग		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-		01	02	02	–	02	–	–	01	–	–	08

राजस्व उप निरीक्षक
चन्द्रपुरी

उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
बसुकेदार
जखोली/बसुकेदार
जनपद–रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र – 20.1

परियोजना का नामः– मा0मु0धो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार		व्यास वर्ग								योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल वन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	01	01	03
3	वन पंचायत	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110
	योग	**06**	**04**	**11**	**15**	**20**	**14**	**11**	**12**	**05**	**15**	**113**
4	नाप भूमि	01	02	02	–	02	–	–	01	–	–	08
5	मक डम्पिंग वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	04
	कुल योग	**07**	**06**	**13**	**15**	**22**	**14**	**11**	**13**	**05**	**19**	**125**

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद- रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
जखोली/बसुकेदार
जनपद-रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

क्यार्के वरसूडी भैरों बैण्ड से जमेली तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु वृक्षों की गणना सूची।

क्र०	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	योग
(1)	चीड़ कौशलपुर व० प०	卌 |	||||	卌 卌 |	卌 卌 卌	卌 卌 卌 卌	卌 卌 ||||	卌 卌 |	卌 卌 |	||||	卌 卌 ||||	110
	योग	06	04	11	15	20	14	11	11	4	14	110
2	चीड़ (क्यार्के, सिविल)	—	—	—	—	—	—	—	|	|	|	03
	योग	—	—	—	—	—	—	—	01	01	01	03
3	चीड़ व० प० कौशलपुर मकडामिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	||||	04
	योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	04	04
	महायोग	06	04	11	15	20	14	11	12	05	19	117

सारांश

(1) वनपंचायत कौशलपुर मोटर मार्ग — 110 वृक्ष

(2) क्यार्के वरसूडी सि० वन — 03 —॥—

(3) मकडामिंग कौशलपुर व० पं — 04 —॥—

योग – 117 वृक्ष

नगेन्द्र पाल
वन बीट अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

कनिष्ठ अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
ऊखीमठ

पूर्णमासी
3
01/3/2012

क्यार्क नरस्वरी भैरों बैण्ड से जमेश्री तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वृक्षों की गणना सूची
ग्राम- कौशलपुर वनपंचायत तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग 02.00 कि० मी०
गुप्तकाशी यूनिट रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

क्षेत्र का नाम- कौशलपुर वन पंचायत

क्र0 सं0	प्रजाति का नाम	वर्ग ब्यास से0 मी0										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1.	चीड़ हरा खड़ा	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110 पेड़
	योग :-	06	04	11	15	20	14	11	11	04	14	110 पेड़

सारांश

(1) चीड़ — 0-10 — 06
(2) चीड़ — 10-20 — 04
(3) चीड़ — 20-30 — 11
(4) चीड़ — 30-40 — 15
(5) चीड़ — 40-50 — 20
(6) चीड़ — 50-60 — 14
(7) चीड़ — 60-70 — 11
(8) चीड़ — 70-80 — 11
(9) चीड़ — 80-90 — 04
(10) चीड़ — 90 over — 14
योग 110 पेड़

01/3/2023

(राजेश 30 नि०)
चन्द्रापुरी/बड़ुवेदार
तह० बड़ुवेदार
जि० रुद्रप्रयाग

(प्रकाश गुसाईं)
रेंज गुप्तकाशी
रुद्र० वन प्रभाग

(नरेन्द्रपाल)
व० वी० अ०
डुंगर / कालीमठ बीट

(सहायक अभियन्ता)
लो० नि० वि०
ऊखीमठ

(दीपक कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि० ऊखीमठ

क्याके बरसुडी - भैरों बैण्ड से जमांयों तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वृक्षों की गणना सूची

ग्राम- क्यार्क तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग 02.00 कि०मी०

गुप्तकाशी यूनिट (रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग)

क्षेत्र का नाम - क्यार्क सि० वन० ग्राम-क्यार्क तहसील बसुकेदार।

क्र0 सं0	प्रजाति का नाम	वर्ग ब्यास से0 मी0										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	चीड़ हरा	—	—	—	—	—	—	—	01	01	01	03 पेड़
योग :–		—	—	—	—	—	—	—	01	01	01	03 पेड़

सारांश

	प्रजाति	वर्ग ब्यास से० मी०	संख्या
(1)	चीड़ हरा	70-80	01
		80-90	01
		90 over	01
(2)	—"—		
(3)	—"—		
	योग		03 वृक्ष

(राजस्व उपनि०)
चन्द्रापुरी बसुकेदार
तह० बसुकेदार
जि० - रुद्रप्रयाग

(वन क्षेत्राधि० गुप्तकाशी)
रेंज - गुप्तकाशी
रुद्र० व० प्रभाग
01/3/2022

(नागेन्द्रपाल)
व० वी० अधि०
डुंगर / बद्रेथ बीट

(सहायक अभियन्ता)
लो० नि० ऊखीमठ

(दीपक कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि० ऊखीमठ

स्यार्क वरसूड़ी भैरोवैण्ड से जमेर्षी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वृक्षों की गणना सूची (मकडाम्बैंग स्थल)

ग्राम - कौशलपुर वन पंचायत तहसील ऊखीमठ, जि० रूद्रप्रयाग

गुप्तकाशीभूमि (रूद्रप्रयाग वनप्रभाग रूद्रप्रयाग)

क्षेत्र का नाम - कौशलपुर वन पंचायत - (मकडाम्बैंग स्थल)

क्र0 सं0	प्रजाति का नाम	वर्ग ब्यास से0 मी0 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1.	चीड़ हरा खड़ा	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	04	04
												04 वृक्ष
	योग :-	– –	– –	– –	–	–	–	–	–	– –		

सारांश

(1) चीड़ - 90 over वर्गव्यास - 04 वृक्ष

योग - 04 वृक्ष

(राजाराम उ० निरीक्षक) चन्द्रापुरी वन केदार, तहसील वन केदार, जि० रूद्रप्रयाग

01/3/2023 (प्र० अधिकारी गुप्तकाशी) रेंज - गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग वनप्रभाग

(नागेन्द्रपाल) व० वी० अधिकारी डुंगर/ वर्ष्या वीट

(सहायक अभियन्ता) लो० नि० वि० ऊखीमठ

(दीपककुमार) कनिष्ठ अभियन्ता लो० नि० वि० ऊखीमठ

प्रपत्र – 21

परियोजना का नामः—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विधमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले **125** वृक्षों का पातन किया जाना है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नामः— मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क—बरसूडी—भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

क्र.सं.	ब्लॉक / ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से॰मी॰ में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्यार्क सिविल वन	चीड	Pinus Roxburgii	1	70-80	28513.76	28513.76	
				1	80-90	36460.24	36460.24	
				1	90 से अधिक	40113.20	40113.20	
2	वन पंचायत कौशलपुर			6	0-10	137.36	824.16	
				4	10-20	367.20	1468.80	
				11	20-30	916.64	10083.04	
				15	30-40	3560.48	53407.20	
				20	40-50	7747.92	154958.40	
				14	50-60	13088.64	183240.96	
				11	60-70	20171.52	221886.72	
				11	70-80	28513.76	313651.36	
				4	80-90	36460.24	145840.96	
				14	90 से अधिक	40113.20	561584.80	
3	मक डम्पिंग वन पंचायत कौशलपुर			4	90 से अधिक	40113.20	160452.80	
4	नापभूमि क्यार्क (जमेथी)	चीड	Pinus Roxburgii	1	0-10	137.36	137.36	
				1	20-30	916.64	916.64	
				1	40-50	7747.92	7747.92	
				1	70-80	28513.76	28513.76	
		खड़ीक	Andromeda	2	10-20	122.40	244.80	
				1	20-30	244.80	244.80	
				1	40-50	962.88	962.88	
	योगः—			125			1951254.56	

नगेन्द्र पाल
वन बीट अधिकारी
राजि. का नाम गुप्तकाशी/रक्षित
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

परियोजना का नामः—मा0मु0घो0संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ो का कुल मूल्य रू0 1951254.56 आंकलित किया जाता है।

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रश्नगत परियेजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये स्थलीय निरीक्षण के दौरान आरक्षित भूमि शून्य पायी गई, अतः आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।

क्र०सं०	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
	←					शून्य				→		

कनिष्ठ अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :– मा0 मु0 घो0 संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसुड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निमार्ण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road Length			Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Van Panchayat Land	1300	m	4	m	3	m
Civil Van Land	100	m	4	m	3	m
Nap Land	600	m	3	m	2	m

Material Received from Hill side Cutting

for VanPanchayat & Civil Land	1/2 x 1400 x 4 x 3	=	8400.00 Cum	
for Nap Land	1 x 600 x 3 x 2	=	3600.00 Cum	
		Total Muck	12000.00 Cum	----A
Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A)		=	16800.00 Cum	----B

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B)		=	6720.00 Cum	----C
Boulders used as (a)	RR Stone Masonary (60% of C)	=	4032.00 Cum	
(b)	HP Stone Filling (20% of C)	=	1344.00 Cum	
(c)	Wirecrates and parapits (10% of C)	=	672.00 Cum	
(d)	Granular Sub Base/Base (10% of C)	=	672.00 Cum	
		Total Boulders Utilized	6720.00 Cum	
Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of B-C)			4032.00 Cum	----D
		Muck Left for Disposal (B-C-D)	6048.00 Cum	

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping Yard L (m)	B(m)	H(m)	Type of Land/ Name of owner	Area (ha.)	Capacity (cum)	Latitude/ Longitude
1	Ch. 0.050	30	25	2	क्यार्क–बरसूडी सिविल वन	0.075	1500	79° 2' 48.27"E 30° 26' 18.97"N
2	Ch. 0.320	30	25	1.5	वन पंचायत	0.075	1125	79° 2' 41.95"E 30° 26' 12.63"N
3	Ch. 0.770	30	25	2	वन पंचायत	0.075	1500	79° 2' 33.31"E 30° 26' 13.93"N
4	Ch. 0.950	30	25	1.5	वन पंचायत	0.075	1125	79° 2' 39.43"E 30° 26' 17.02"N
5	Ch. 1.350	30	20	1.5	वन पंचायत	0.060	900	79° 2' 36.05"E 30° 26' 18.25"N
6	Ch. 1.580	28	11	2.2	नाप भूमि	0.031	677.60	79° 2' 37.62"E 30° 26' 25.05"N

Area 0.360 Hac. In forest and 0.031 Hac. In Naap

Total Capacity of Dumping Zones	=	6827.60	Cum
Total Muck need to be disposed	=	6048.00	Cum
Balance Debris	=	NIL	

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-

परियोजना का नामः— **मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1.340है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्यरू० 9.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रू० 12.06 लाख होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक
चन्द्रापुरी

तहसीलदार
बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
बसुकेदार

उप जिलाधिकारी
जखोली / बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
बसुकेदार

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–42

परियोजना का नाम :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को वन भूमि हस्तान्तरण।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	–	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्न	–	0.4 (40%)
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 (रुपये)	–	12,92,850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	–	1.34 है0
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	–	17,32,419.00

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र

परियोजना का नामः– मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूडी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

वनभूमि में कम से कम मलवा निस्तारण किये जाने की बचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा, व नाप भूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में अधिक से अधिक मलवे का निस्तारण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ